ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 66-68
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

न्यायाधीशों की नियुक्ति व शक्तियां भारत के संदर्भ में एक : मूल्यांकन

1. हरकेश मीणा
2. डॉ0 महेन्द्र कुमार

1. सह आचार्य– राजनीति विज्ञान, श्रीमती नर्बदा देवी बिहानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नोहर
2. सहायक आचार्य– राजनीति विज्ञान (विद्यासम्बल) राजकीय महाविद्यालय, रावतसर (राज0), भारत

Received-02.03.2024, Revised-06.03.2024, Accepted-09.03.2024 E-mail: mkmahirwt@gmail.com

सारांश: ***हमारे देश में न्यायपालिका लोकतंत्र का मुख्य सतंभ है जो लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। न्यायाधीश न्यायपालिका के मुख्य पहलू है। न्यायपालिका की सफलता के लिए न्यायाधीशों का कुशल होना अनिवार्य है। हमारे देश में कई प्रसिद्ध न्यायाधीश है जिन्होंने अपने फैसलों के माध्यम से कई बदलाव लाए हैं जिससे इस देश का समग्र विकास हुआ है। हमारे देश में न्यायाधीशों का सम्मान किया जाता है और लोगों को उन पर बहुत विश्वास और उम्मीदें हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति उचित हो और पक्षपातपूर्ण न हो। हमारे भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है जिनका नियुक्ति के हर पहलू में पालन किया जाना चाहिए।***

कुंजीभूत शब्द– न्यायपालिका, लोकतंत्र, न्यायाधीश, नियुक्ति, स्थानांतरण, न्यायाधीश, न्यायपालिका, पक्षपातपूर्ण, समग्र विकास।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में दो नए न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड द्वारा शपथ दिलाई गई। भारतीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया निम्नवत् है :

जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति– योग्यता– भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं, इस लेख के अनुसार, किसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप मे नियुक्ति होने के लिए कुछ योग्यताएँ हैं, वे हैं :

- व्यक्ति को वकील या वकील के रूप में सात साल या उससे अधिक समय तक अभ्यास में रहना होगा।
- व्यक्ति को संघ या राज्य की किसी अन्य सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- व्यक्ति को रोजगार के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित किया जाना चाहिए।

नियुक्ति की प्रक्रिया– जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। अनुच्छेद 233 के अनुसार नियुक्ति राज्य के राज्यपाल और राज्य में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद ही की जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालयों को जिला अदालत और अन्य अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक सेवा के व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 233–ए जिला अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति को मान्य करता है, जो संविधान (बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 के प्रारंभ होने से पहले की गई थी और उन्हें वैध माना जाता है।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति– योग्यता– किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालयों मे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए कुछ योग्यताएँ पूरी करनी होती है। नियुक्ति के संबंध में योग्यताएं अनुच्छेद 217 में प्रदान की गई है। अनुच्छेद अनुसार,

नियुक्त व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए –

नियुक्त व्यक्ति को कम से कम दस वर्षों तक भारत के क्षेत्र में न्यायिक पद पर रहना चाहिए।

नियुक्त व्यक्ति को कम से कम दस वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील रहना चाहिए।

प्रक्रिया– भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 उच्च न्चयायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रक्रिया प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार–

- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति के वारंट और उसकी मुहर से ही की जा सकती है।
- नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद ही की जा सकती है।
- मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जा सकती है,
- अनुच्छेद 224 के अनुसार अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भी इस अनुच्छेद के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।
- व्यक्ति बासठ वर्ष की आयु तक न्यायाधीश के पद पर रह सकता है।
- परामर्श बहुत प्रभावी होना चाहिए, यॉनि जिस व्यक्ति की सिफारिश की जा रही है उसके बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्रकट की जानी चाहिए और नियुक्ति की सुविधा के लिए कोई भी जानकारी छिपाई नहीं जानी चाहिए।
- नियुक्त न्यायाधीशों को अनुच्छेद 219 के अनुसार राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेनी होगी। शपथ उस प्रपत्र के अनुसार होनी चाहिए, जो तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है।

नियुक्त न्यायाधीशों का वेतन– भारतीय संविधान का अनुच्छेद 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो के वेतन के संबंध में विभिन्न प्रावधान प्रदान करता है। वेतन संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा और जब तक इसके लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक दूसरी अनुसूची में दिए गए वेतन का पालन किया जाना चाहिए। लेख में यह भी कहा गया है कि न्यायाधीश पेंशन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार है, जो संसद द्वारा तक कया जाता है और यह समय–समय पर बदलता रहता है।[1]

अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया– अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 द्वारा शासित होती है। राष्ट्रपति के पास अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति है। अतिरिक्त न्यायाधीशों के लिए

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

पद सृजित करने और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार की अनुमति और मंजूरी लेनी चाहिए। अनुच्छेद 224 कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति से भी संबंधित है। इन्हें तीन महीनें की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के लिए बार के सदस्यों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति– प्रक्रिया– सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विभिन्न प्रक्रियाएँ हैं। नियुक्ति भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों द्वारा शासित होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए अभी कॉलेजियम प्रणाली का पालन किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में केवल सात न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है और जब संसद आवश्यक समझेगी तो नियुक्ति को बढ़ाया जा सकता है।[2] राष्ट्रपति के पास भारत के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति है। न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रह सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है।

1958 की शुरूआत में, भारत के विधि आयोग ने तर्क दिया कि नियुक्ति की यह प्रणाली सर्वोत्तम की अनुमति नहीं देती है प्रतिभाओं को न्यायालय में नियुक्त किया जाना चाहिए, और यह कि कई मामलों में "उच्चतम स्तर के कार्यकारी प्रभाव डाला जाता है" कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी था। विधि आयोग भी जोर दिए जाने कील आलोचना कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियाँ करने में "सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विचारों" को रखा गया।[3]

योग्यता– भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 विभिन्न योग्यताएँ प्रदान करता है जिन्हें नियुक्ति के लिए पूरा करना होता है। जो व्यक्ति इन सभी आवश्यक योग्यताओं को पूरा करता है उसे ही अनुशंसित किया जाता है। वे हैं :

- अनुसंशसित व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वे लगातार पाँच वर्षों तक एक या अधिक उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश रहे हों।
- वे कम से कम दस वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील रहे हों।
- राष्ट्रपति की राय में अनुशंसित व्यक्ति को एक प्रतिष्ठित न्यायविद् होना चाहिए।

वेतन– सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रदान किया जाने वाला वेतन उच्च न्यायालयों की तुलना में अधिक है। वेतन संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है और यदि प्रावधानों को स्पष्ट नहीं किया गया है तो दूसरी अनुसूची में उल्लिखित वेतन प्रदान किया जाना चाहिए।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति– भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो या वे स्वास्थ्य समस्याओं जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति विभिन्न स्थितियों में की जा सकती है, जैसे जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कोरम न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए उपलब्ध नही हैं, तो मुख्य न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। भारत के राष्ट्रपति की सहमति से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवम् तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।

न्यायाधीशों का स्थानांतरण– उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण– भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में सथानांतरण का प्रावधान करता है। मुख्य न्यायाधीश के तबादले के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। राष्ट्रपति के पास न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति है। यह स्थानांतरण मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही किया जाना चाहिए। स्थानांतरित होने वाले न्यायाधीशों को उनके वेतन के अतिरिक्त प्रतिपूरक भत्ता देने का भी प्रावधान है।[4]

ऐतिहासिक फैसले– एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ– जनहित याचिका के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ–साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई रिट याचिकाएँ दायर की गई। इन याचिकाओं को स्वतरू संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। मुख्य मुद्दा यह तय करना था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय कॉलेजियम में किसकी राय को प्राथमिक महत्व दिया जाना चाहिए। बहुमत की राय यह थी कि "भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय और उच्च न्यायालय की राय केवल परामर्शात्मक थी और नियुक्ति की शक्ति पूरी तरंह से केंद्र सरकार में निहित है"।[5]

मामले में परामर्श शब्द के अर्थ पर भी चर्चा की गई। सभी परामर्शदाताओं के संबंध में अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 में उल्लिखित परामर्श शब्द और मामले में अंतिम निर्णय केंद्रीय कार्यकारिणी पर छोड़ दिया गया था। बहुमत ने अनुच्छेद 217 के प्रति अत्यंत शाब्दिक और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। इस फैसले के बाद भी केंद्र सरकार ने पुरानी प्रथा का पालन किया और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम को मंजूरी दिए बिना किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की गई।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ– यह मामला एक ऐतिहासिक फैसला था जिसमें नौ न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया था। यह मामला द्वितीय न्यायाधीश मामले के नाम से मशहूर है। मुख्य प्रश्न जो तय हुआ वह

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

यह था कि क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल विशेषता है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स–ऑन–रिकॉर्ड एसेसिएशन और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं, जिनमें 99वें संशोधन और एनजेएसी अधिनियम की संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि एनजेएसी ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता करके संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन किया है। बहुमत के फैसले से मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण करने की शक्ति प्रदान है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति के समय केवल दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करने की आवश्यकता होती है।

पहला प्रमुख मुद्दा जो प्रश्न में था वह 'परामर्श' शब्द का अर्थ था, जो अनुच्छेद 124 में मौजूद है। बहुमत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसका अर्थ 'एकीकृत, भागीदारी और परामर्शात्मक प्रक्रिया' है। इसके संवैधानिक पदाधिकारियों की ओर से संवैधानिक दायित्वों का पूर्ण निर्वहन होता है। मामले में न्यायाधीशों द्वारा यह स्थापित करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया गया है कि "परामर्श" का अर्थ घटना या प्रधानता है, जिसमें से उल्लेखनीय है "पैटरफैमिलियास" के रूप में भारत के मुख्य न्याधीश पर्याप्त रूप से सक्षम होंगे और उनमें निर्णय लेने और अंतर करने के सर्वोत्तम गुण होंगे। भारतीय संविधान में अन्य संविधानों के साथ, हमारा संविधान पूर्ण विवेकाधिकार कार्यपालिका के हाथों में नहीं देता है। अतरू भारत के मुख्य न्यायाधीश को निम्न पद नहीं माना जा सकता।

1998 के विशेष सन्दर्भ 1 में 6 यह एक और प्रसिद्ध मामला है जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में विभिन्न निर्णय निए गए। मुख्य मुद्दा जो तक किया जाना था वह यह था कि क्या अनुच्छेद 217(1) में उल्लिखित अभिव्यक्ति ''भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श'' के लिए कई न्यायाधीशों के परामर्श की आवश्यकता है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय बनता है या भारत के मुख्य न्यायाधीश की एकल व्यक्तिगत राय एक वैध परामर्श का गठन करती है जो उपरोक्त लेखों में उल्लिखित ''परामर्श'' शब्द के अर्थ के अंतर्गत आता है। मामले ने कई अन्य मुद्दों पर भी निर्णय लिया जैसे कि क्या नियमों और परामर्श की प्रक्रिया का पालन किए बिना भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई कोई भी सिफारिश भारत सरकार के लिए बाध्यकारी है।[6]

इस मामले में यह माना गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 217(1) और 222(1) में अभिव्यक्ति ''भारत के मुख्य न्यायाधीय के साथ परामर्श'' के लिए मुख्य न्यायाधीश की राय के निर्माण में अधिकांश न्यायाधीशों के परामर्श की आवश्यकता होती है। भारत के न्यायधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत और व्यक्तिगत राय एक वैध ''परामर्श'' का गठन नहीं करती है जो उक्त लेखों में शब्द के अर्थ के अंतर्गत आती है।

2014 में, संसद ने संविधान में संशोधन किया और न्यायिक नियुक्ति में सुधार के लिए एक कानून पारित किया प्रक्रिया। इसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश के बाद सर्वोच्च न्याालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री और दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चयन प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति द्वारा किया जाएगा। प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/धार्मिक अल्पसंख्यक का सदस्य होगा अथवा महिला होगी। यदि आयोग के दो सदस्यों ने एक व्यक्ति की नियुक्ति के विरूद्ध मतदान किया, उस व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जायेगी।[7]

इस संशोधन और कानून को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड में चुनौती दी गई। एसोसिएशन बनाम भारत संघ (न्यायाधीश IV) न्यायालय ने बहुमत से उल्लंघन करने के लिए संशोधन को रद्द कर दिया। अक्टूबर 2017 से, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम के प्रस्तावों को सुप्रीम पर अपलोड करना शुरू कर दिया है।

निष्कर्ष– न्यायाधीश न्यायपालिमका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीश प्रतिदिन उठने वाले विभिन्न मुद्दों को संभालने में पर्याप्त रूप से सक्षम हों। न्यायाधीशों की नियुक्ति उचित ढंग से की जानी चाहिए और न्यायाधीशों का चयन करते समय काफी प्रयास किये जाने चाहिए। न्यायाधीशों का अनावश्यक स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए और उचित कारण होने पर ही स्थानांतरण किया जाना चाहिए। वयक्तिगत और राजनीतिक कारणों से जजों का तबादला नहीं किया जाना चाहिए, इस प्रकार सरकार और न्यायपालिका को न्यायाधीशों की नियुक्ति को एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानना चाहिए और इसमें काफी सावधानी बरतनी चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अर्घ्य सेनगुप्ता और अन्य। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, पारदर्शिता, जवाबदेही, और स्वतंत्रता, नई दिल्ली 2018, पीपी. 101–104.
2. अनुच्छेद 124, भारत का संविधान
3. भारतीय विधि आयोग, न्यायिक प्रशासन पर 14वीं रिपोर्ट खंड 1, पृष्ठ 34 (1958)।
4. एआईआर 1982 एससी 149
5. (1993) 4 एससीसी 441
6. 1998 का राष्ट्रपति संदर्भ संख्या 1, (1998) 7 एससीसी 739।
7. 2016 (5) एससीसी 1

*****